न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आर ए एस
राजस्व अपील संख्या 12/03/2018

वउनवान

1. रामोतार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मानखेडा तहसील कठूमर

——— अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत मथुराहेडा पंचायत समिति कठूमर तहसील कठूमर
2. पुष्पेन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी मानखेडा तहसील कठूमर

——— रेस्पोडेण्ट

3. भुरिया पत्नी स्व0 रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी मानखेडा तहसील कठूमर

——— तर0 रेस्पो0

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत मथुराहेडा
दिनांक 20.05.2009 इन्तकाल संख्या 380
वाके ग्राम मथुराहेडा

उपस्थित :–

श्री राधाबल्लभ शर्मा : वकील अपीलाण्ट

निर्णय दिनांक 11/2/19

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि आराजी खसरा नम्बर 369, 372, 368 वाके ग्राम दयालपुरा तहसील कठूमर अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पो0 के कमशः पिता एंव पति रामजीलाल के 1/3 हिस्सा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। रामजीलाल के फौत होने पर उक्त आराजी वावत उसका विरासत इन्तकाल संख्या 380 रेस्पो0 सं01 ने अपीलाण्ट के स्थान पर रेस्पो0 सं02 के नाम अपीलाण्ट को विना वुलाये विना सुने दिनांक 20.05.2009 को खिलाफ कानून खिलाफ मौका तस्दीक कर दिया कि जिस इन्तकाल संख्या 380 का प्रथम वार ईल्म दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

16.07.2018 को हुआ जानकारी से प्रार्थना पत्र विना देरी के पेश है। मृतक रामजीलाल के दो ही वारिस पुत्र अपीलाण्ट रामोतार व उसकी विधवा पत्नी तरतीवी रेस्पो0 सं0 3 भुरिया है लेकिन रेस्पो0सं0 1 ने अपीलाण्ट को विना वुलाये विना सुने मनमाने तरीके से रेस्पो0 सं0 2 पुश्पेन्द्र के नाम मृतक रामजीलाल के वारिसान की जांच किये विना मृतक रामजीलाल का विरासत इन्तकाल संख्या 380 पटवारी हल्का से दर्ज व कानूनगौ से मिलान करवाकर दिनांक 20.05.2009 को तस्दीक कर दिया जवकि मृतक रामजीलाल के रेस्पो0 सं0 2 पुश्पेन्द्र नाम का कोई वारिस पुत्र नहीं है। मृतक रामजीलाल के एक ही पुत्र अपीलाण्ट रामोतार ही है और ना रामोतार को पुश्पेन्द्र कहते है उक्त इन्तकाल संख्या 380 रेस्पो0 सं01 ने ग्राम पंचायत की मिटिंग की कौरम के अभाव में मनमाने तरीके से तस्दीक किया है। अतः अपीलाण्ट स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 380 दिनांक 20.05.2009 वाके ग्राम दयालपुरा तहसील कठूमर निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट के नाम स्वीकार किया जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पो0 सं0 1–2 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में इन्तकाल संख्या 380 वाके ग्राम दयालपुरा, छाया प्रति अंकतालिका सन् 2001, छाया प्रति राशनकार्ड, छाया प्रति आधार कार्ड, छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में कथन किया कि मृतक रामजीलाल के दो वारिस उसका पुत्र अपीलाण्ट रामोतार व पत्नी भुरिया है। ग्राम पंचायत ने अपीलाण्ट को विना सुने मनमाने तरीके से पुश्पेन्द्र के नाम मृतक रामजीलाल के वारिसान की जांच किये विना मृतक रामजीलाल का विरासत इन्तकाल स्वीकार किया है। मृतक रामजीलाल के एक ही पुत्र अपीलाण्ट रामोतार ही है। ग्राम पंचायत ने मृतक रामजीलाल का विरासत इन्तकाल पत्नी भुरिया व पुश्पेन्द्र के नाम स्वीकार किया है जो गलत है। इन्तकाल से पुश्पेन्द्र का नाम कलमजन कर वादी रामोतार का नाम दर्ज किया जावे। गलत इन्तकाल की जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करली जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। सर्व प्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि भुमार की जाती है।

अपीलाण्ट ने अपील के साथ शिक्षा का प्रमाण पत्र व अंकतालिका कक्षा 8 परीक्षा 2001, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति पेश की है। जिसमें अपीलाण्ट का नाम रामोतार पुत्र रामजीलाल अंकित है। पुश्पेन्द्र नाम का मृतक रामजीलाल के कोई वारिस पुत्र नहीं है। ग्राम पंचायत को मृतक रामजीलाल के वारिसान की सही जांच कर इन्तकाल फैसल करना चाहिए था तथा वारिस पुत्र रामोतार व पत्नी भुरिया के नाम वहिस्सा बराबर इन्तकाल फैसल करना चाहिए था ग्राम पंचायत ने मृतक रामजीलाल के वारिस पुत्र के रूप में रामोतार के स्थान पर पुश्पेन्द्र का नाम दर्ज किया है जो इन्तकाल विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः इन्तकाल संख्या 380 वाके ग्राम दयालपुरा खारिज किया जाकर मृतक रामजीलाल के विरासत इन्तकाल में पुश्पेन्द्र के स्थान पर अपीलाण्ट रामोतार का नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है। इस आशय की तहरीर बास्ते पालनार्थ तहसीलदार कठूमर के नाम जारी हो।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 11/2/19 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner